रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 64] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 1985/माघ 27, 1906
No. 64] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 1985/MAGHA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985

सा. का. नि. 91 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 63(अ), तारीख, 3 फरवरी 1978 जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी, द्वारा यथा उपांतरित, सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1925 (पंजाब का 1925 का अधिनियम सं. 8) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिख गुरूद्वारा बोर्ड (पदाधिकारियों और

कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन) नियम, 1925 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम सिख गुरूद्वारा बोर्ड (पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन) (संशोधन) नियम, 1985 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सिख गुरूद्वारा बोर्ड (पदाधिकारियों और कार्यकारिणी समिति का निर्वाचन) नियम, 1925 के नियम 11 को उसके उप-नियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी प्राप्त होने पर, सरकार का उपयुक्त सचिव, यथासंभवशीघ्र, विवरणी की एक प्राधिकृत प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा जो इस प्रकार निर्वाचित व्यक्तियों के नाम राजपत्र में प्रकाशित करेगी ।

[संख्या एस-13015/1/85-एसआर]

एस. आर. आर्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 1985

G.S.R. 91(E) :—In exercise of the powers conferred by section 146 of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925), as modified by the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, No. S.O. 63(E), dated the 3rd February, 1978, issued under sub-section (1) read with sub-sections (2) and (3) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sikh Gurudwaras Board (Election of Office Bearers and Executive Committee) Rules, 1925, namely :—

1. (1) These rules may be called the Sikh Gurdwaras Board (Election of Office Bearers and Executive Committee) (Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sikh Gurdwaras Board (Election of Office Bearers and Executive Committee) Rules, 1925, rule 11 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(2) On receipt of the return referred to in sub-rule (1), the appropriate Secretary to Government shall, as soon as may be, forward an authenticated copy of the return to the Central Government who shall publish the names of the persons so elected in the Official Gazette."

[No. S-13015|1|85-SR]

S. R. ARYA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1985